

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 535 वर्ष 2026**

विमल उर्फ विमल यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव,

गृह विभाग, लखनऊ तथा 4 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	हरीश चन्द्र यादव, दुर्गेश गुप्ता
प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 382 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 127(2), 351(2), 70(2), 137(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 5(ग)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा धारा 3(2)(व) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना सरोजिनी नगर, जनपद लखनऊ में जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे इस वाद में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है।

4. यह भी निवेदित किया गया कि सह-अभियुक्त शुभम मिश्र को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पारित आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12564 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा अन्य सह-अभियुक्त पियूष शुक्ला को भी इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12620 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. यह भी निवेदित किया गया कि पीड़िता के कथन, जो धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित किए गए हैं, से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता बालिग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता का आवेदक से परिचय इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ तथा यह भी प्रदर्शित होता है कि वह अपनी स्वेच्छा से आवेदक के साथ गई, तत्पश्चात आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने का आरोप लगाया गया, जो कि असत्य है क्योंकि अभियोजन के पास इस संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

6. यह भी निवेदित किया गया कि सूचनाकर्ता द्वारा पूर्व में दिनांक 27.06.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 273 वर्ष 2023, थाना लखनऊ दक्षिण (कमिश्नरेट लखनऊ) में आठ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 323, 354, 392, 452, 504, 506 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। तत्पश्चात सूचनाकर्ता द्वारा पुनः दिनांक 24.05.2025 को थाना सरोजिनी नगर, लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0190 वर्ष 2025 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई, जिसमें धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध दर्शाने का प्रयास किया गया।

7. यह भी निवेदित किया गया कि समस्त प्रथम सूचना रिपोर्टों में पीड़िता सूचनाकर्ता की पुत्री है, अतः यह अनुमानित किया जा सकता है कि वर्तमान आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप मिथ्या, मनगढ़ंत एवं कपटपूर्ण हैं तथा किसी अन्य उद्देश्य, जिसमें राज्य कोष से धन प्राप्त करना भी सम्मिलित है, से प्रेरित होकर लगाए गए हैं।

8. यह भी निवेदित किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा यह कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 17.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है, वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा और अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

9. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

10. आवेदक के अधिवक्ता एवं अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन करने पर तथा यह दृष्टिगत रखते हुए कि उपर्युक्त दोनों सह-अभियुक्तों को जमानत प्रदान की जा चुकी है, एवं प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थना पत्र में पर्याप्त बल है, अतः इसे स्वीकृत किया जाता है।

11. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **विमल उर्फ विमल यादव** को उपर्युक्त अपराध संख्या में 25,000 रुपये के निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू (जिनमें से एक पारिवारिक सदस्य होना चाहिए) प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(1) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।

- (2) आवेदक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (3) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
 - (4) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (5) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
 - (6) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
 - (7) आवेदक साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।
 - (8) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
12. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
13. चूँकि यह आदेश जमानत प्रदान किए जाने से संबंधित है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी वाद के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा विचारण न्यायालय इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

दिनांक – 17 मार्च, 2026

प्रीति